

कार्यालय
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष/फैक्स - 0124-2655406

कमांक: - D-III-43/2017/5089

दिनांक: - 28-2-17

सेवा में:-

वन मण्डल अधिकारी,
महेन्द्रगढ़ ।

विषय: Diversion of 1.80 ha. forest land for construction of path from Mahendergarh Satnali road to Baba Ramphal Dass Temple Village Balana under Forest Division & Distt. Mahendergarh.

संदर्भ: आपका पत्र कमांक 2024 दिनांक 22.02.2017

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि संदर्भांकित पत्र द्वारा भेजे गये केस में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं:-

1. उक्त प्रस्ताव के चैक लिस्ट पार्ट-II में प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित वन दर्शाया गया है, जबकि सड़क का निर्माण अरावली पौधारोपण क्षेत्र में किया जाना है ।
2. उक्त प्रस्ताव में अरावली पौधारोपण क्षेत्र के प्रभावित खसरा नम्बरों का विवरण नहीं दिया गया है ।
3. ले-आउट प्लान में प्रभावित खसरा नं० का भी विवरण नहीं दिया गया है । ,
4. उक्त प्रस्ताव में प्रभावित क्षेत्र 1 है० से ज्यादा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अरावली पौधारोपण क्षेत्र को वन क्षेत्र माना गया है । इस बारे स्पष्ट विवरण दिया जाये कि प्रभावित क्षेत्र के बदले भूमि ली जानी बनती है या नहीं ।

अतः प्रस्ताव मूल रूप में वापिस भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों को तीन दिन के अन्दर-2 दूर करके केस पुनः इस कार्यालय को भेजें ।

संलग्न/मूल प्रस्ताव ।

वन संरक्षक दक्षिणी परिमंडल,
गुरुग्राम ।